न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 23 / 2018 दायरा दिनांक : 16.02.2018

उनवान

1– पप्पू वल्द प्यारा, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– भूरा वल्द प्यारा, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– मांगी बाई बेवा प्यारा, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4– पन्ना लाल वल्द पांच्या, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

5-- ग्यारसीबाई पुत्री पांच्या, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– सोरम बाई पुत्री पांच्या पत्नी रंगलाल, जाति लोढ़ा, निवासी तलावडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

7-- कलीबाई पुत्री पांच्या, जाति लोढ़ा, निवासी तलावडा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– रोडूलाल वल्द घीसा, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़, मृतक जरिये कायम मुकामान :–

1 / 1– बीरम वल्द रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1 / 2– रामप्रसाद वल्द रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

1/3— मांगीलाल वल्द रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/4— बापू लाल वल्द रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

1/5— रामचन्दर वल्द रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2— नोरंग पुत्री रोडूलाल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ मृतक जरिये कायम मुकामान :—

2/1— ममता बाई पुत्री नौरंग, आयु 20 साल, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2/2— जानी बाई पुत्री नोरंग, आयु 17 साल, नाबालिग जरिये वली पिता कन्हैया लाल मानपुरा सकनाये जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2/3— पार्वती बाई पुत्री नोरंग, आयु 15 साल, नाबालिग जरिये वली पिता कन्हैया लाल मानपुरा सकनाये जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2/4— उर्मिला बाई पुत्री नोरंग, आयु 12 साल, नाबालिग जरिये वली पिता कन्हैया लाल मानपुरा सकनाये जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2/5— देवकरण पुत्र नोरंग, आयु 5 साल, नाबालिग जरिये वली पिता कन्हैया लाल मानपुरा सकनाये जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

2/6— राजू बाई पुत्री नोरंग आयु 2 साल, नाबालिग जरिये वली पिता कन्हैया लाल मानपुरा सकनाये जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड

3— रतन बाई पुत्री घीसा, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

4— जगन्नाथ वल्द गोप्या, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

5– अमरती बाई पुत्री गोप्या पत्नी मन्ना लाल, जाति लोढ़ा, निवासी पिपल्या, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

6– हजारी माता भंवरी पिता मानसिंह, जाति तंवर, निवासी हनोती, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश

7– मथरी बाई माता भंवरी पिता मानसिंह, जाति लोढा, निवासी माचलपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

8– कनया वल्द बक्सू, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

9– पप्पू वल्द बक्सू, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

10– देवलाल पुत्री बक्सू पत्नी इन्द्रर सिंह पुत्री नृसिंह, जाति लोढ़ा, निवासी अमीरपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

11– पन्ना लाल वल्द पांच्या, जाति लोढ़ा, निवासी हरिपुरा, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

12– फत्ती पुत्री पांच्या, जाति लोढा, निवासी .... तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ मध्यप्रदेश

13– राजस्थान सरकार जरिये उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

14– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 03.03.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 10/2008 निर्णय व डिकी दिनांक 12.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार की सहमति प्रकट की । जबकि लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति में राजीनाम करने की सहमति देने पर निर्णय पारित किया जाता है इस प्रकार यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादीगण की ओर से ना तो जवाबदेही पेश हुई और ना ही तनकी कायम की गई है । उक्त अपील अपीलांट के पक्ष में प्राईमाफेसी है, सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है व सारवान क्षति होने की संभावना भी अपीलांट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे । अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 29.12.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया है अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली तलबी में चल रही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत में निर्णय पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान उपस्थित नहीं हुए और न ही किसी प्रकार की सहमति प्रकट की । जबकि लोक अदालत में पक्षकारान की उपस्थिति में राजीनाम करने की सहमति देने पर निर्णय पारित किया जाता है इस प्रकार यह निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील स्वीकार की जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

(ज्ञ.हैदर [illegible])
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि दिनांक 05.04.2015 को प्रतिवादीगण 3, 4, 9 की तामील नहीं होने के कारण तलबाना पेश करने के आदेश हैं । तत्पश्चात दिनांक 12.07.2016 को पक्षकारों को उपस्थित होना बताया गया है लेकिन प्रतिवादी नम्बर 3, 4, 9 की उपस्थिति/अनुपस्थिति बाबत कोई आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं । प्रकरण में राजस्व लोक अदालत केम्प खाताखेड़ी के नोटिस दिनांक 20.06.2016 को पक्षकारों की उपस्थिति बाबत जारी किये गये लेकिन दिनांक 20.06.2016 को पेशी बाबत आदेशिका में कोई आदेश अंकित नहीं है, इससे स्पष्ट है कि पक्षकारों को सुनवाई का पूर्ण अवसर नहीं दिया गया है । लोक अदालत में निर्णय पक्षकारों की सहमति/राजीनामे से होता है लेकिन इस प्रकरण में कोई भी सहमति/राजीनामा पेश नहीं किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 त्रुटिपूर्ण है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 12.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 14.06.2021 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा